छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, व्ही.आई.पी. एस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492007
कार्यालय दूरभाष : 0771-4065100 से 4065110 फैक्स : 2283594
ई-मेल : mfpfed.cg@nic.in, fed_raipur@cgmfpfed.org बेबसाइट : www.cgmfpfed.org

संशोधन क्रमांक - 2 दिनांक 07.10.2015

संग्रहण वर्ष 2014-15 संग्रहण काल में संग्रहित हर्रा विक्रय हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक/संघ/हर्रा/2014-15/4 दिनांक 28.09.2015 (ऑफर दिनांक 06.10.2015, 13.10.2015, 20.10.2015, 27.10.2015 एवं 03.11.2015) के ऑफर सूचना के परिशिष्ट-I के बिन्दु क्रमांक 12 क्रेता द्वारा देय राशि की भुगतान प्रक्रिया को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक **12 क्रेता द्वारा देय राशि की भुगतान प्रक्रिया** में जोड़े जाते हैं :-

12 क्रेता द्वारा देय राशि की भुगतान प्रक्रिया -

क्रेता छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर को देय समस्त राशि जैसे कि विक्रय मूल्य, वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धित कर, आय कर, ब्याज एवं गोदाम किराया आदि का भुगतान किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा **परिशिष्ट-V** में जिला यूनियन के समक्ष दर्शाये स्थान के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में जिला यूनियन कार्यालय में अथवा रायपुर स्थित निम्न बैंकों में उनके समक्ष दर्शाये RTGS कोड/ बैंक खाता क्रमांक में RTGS के माध्यम से हस्तानांतरण द्वारा कर सकता है ।

बैंक एवं शाखा का नाम	RTGS कोड/ बैंक खाता क्रमांक
1. Punjab National Bank, Raipur (Main Branch)	PUNB0039900/0399005900000067

बैंक के द्वारा संचालित RTGS व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान के कारण संघ के खाते में राशि प्राप्त न होने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा । RTGS व्यवस्था से भुगतान की तिथि वही मानी जावेगी, जिस तिथि को संघ के बैंक खाते में राशि प्राप्त होगी ।

क्रेता द्वारा भुगतान करने के उपरांत मनी रसीद जारी करने हेतु **परिशिष्ट-VI** में आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा मनी रसीद जारी की जावेगी ।

7/10

कार्यकारी संचालक-2
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

क्रमांक संघ/व्या./2015/ 11059 रायपुर, दिनांक 08/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. **समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । उक्त संशोधन संघ के वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** में अपलोड की गई है । संशोधन की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें तथा अपने अधीनस्थ प्रबंध संचालक, जिला यूनियनों को भी अवगत कराया जावें ।

2. **कम्प्यूटर कक्ष,** संघ मुख्यालय, रायपुर की ओर संघ के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

7/10

कार्यकारी संचालक-2
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

F:\Vinod\Terder Data\Tender Notification\Harra\Harra_2014-15_4(Offer)_28.09.2015\hr_amend2_07.10.2015.doc